मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,

58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

अपील क्रमांक ए–218 / रासूआ / 10–3 / 2006 / इन्दौर

श्री सुभाष चन्द्र नीमा **अपीलकर्ता**
आत्मज श्री गोपाल दास नीमा
45, केशरबाग रोड, इंदौर मध्यप्रदेश

विरूद्ध

श्री पी.सी.उपाध्याय, **लोक सूचना अधिकारी**
कार्यालय, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण
कंपनी लिमिटेड,दक्षिण शहर संभाग– इंदौर ।

(आदेश – 29 सितंबर, 2006)

श्री सुभाष चन्द्र नीमा (अपीलकर्ता) ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण शहर संभाग, इन्दौर (कम्पनी) को दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को एक आवेदन पत्र निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिये दिया था –

> ''कृपया यह बताने का कष्ट करें कि क्या जनवरी 2002 से लगाकर दिसंबर 2002 तक आपके उपभोक्ता रजिस्टर में ''सुभाषचंद्र पेपर प्रिंटिंग'' सर्विस क्रमांक 93 / 15 / 581874 के नाम उपभोक्ता नाते अंकित है ?''

2. लोक सूचना अधिकारी ने इस आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को किया था । इस विषय से संबंधित पुलिस द्वारा अनुसंधान का उल्लेख करते हुये इस आधार पर सूचना अपीलकर्ता को देने में असमर्थता व्यक्त की है कि इस विषय पर अपराध
क्रमांक 526 / 05 पंजीबद्ध किया गया है जो विवेचनाधीन है इसलिये इस विषय से संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती है ।

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दिनांक 6 जनवरी, 2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण शहर संभाग, इन्दौर (कम्पनी) के समक्ष प्रस्तुत की थी । इस अपील में उन्होने बहुत से बिन्दु उठाये हैं लेकिन इस बात को कहीं भी प्रतिवादित नहीं किया है कि इस विषय से संबंधित अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो विवेचनाधीन है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता की अपील इसी आधार पर निरस्त की है कि इस विषय से संबंधित अपराधिक प्रकरण क्रमांक 526/05 पंजीबद्ध किया गया है जो विवेचनाधीन है इसलिये लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत इस विषय पर जानकारी देने के लिये बाध्य नही है ।

4. अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है । उन्होने इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया है कि अपराध क्रमांक 526/05 पंजीबद्ध नहीं किया गया है लेकिन उनका यह कहना है कि इस आधार पर सूचना नही देना सही नही है । इस विषय से संबंधित न तो रिकार्ड न्यायालय में तलब किया गया है और न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्देश दिये हैं । अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुये निर्णय दिया जाना वैधानिक त्रुटि है अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2006 निरस्त करने योग्य है ।

5. अपीलकर्ता ने जो प्रथम अपील प्रस्तुत की थी उसमें कंडिकावार प्रतिवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से प्राप्त हुआ है । इस प्रतिवेदन पर अपीलकर्ता ने प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है । इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी,अपीलीय अधिकारी एवं अपीलकर्ता के अधिवक्ताओं को दिनांक 29 सितम्बर, 2006 को सुना गया ।

6. इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि अपीलकर्ता ने जो सूचना अवलोकन के लिये या जो विवरण मांगा है वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई है उसके अन्तर्गत लोक प्राधिकारी देने के लिये बाध्य है या नही है । इस बात में कोई विवाद नही है कि इस विषय से संबंधित एक अपराधिक प्रकरण 526/05 पंजीबद्ध किया गया है जो विवेचना में है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के अन्तर्गत यदि किसी सूचना के देने से किसी अपराध के अनुसंधान, विवेचना, गिरफ्तारी या अभियोजन के प्रकरण में बाधा या अवरोध होता है तो उसे देने के लिये लोक सूचना अधिकारी बाध्य नही है । स्पष्टतः इस प्रकरण में एक अपराधिक प्रकरण दर्ज है जो विवेचनाधीन है । ऐसी स्थिति में लोक प्राधिकारी को इस विषय से संबंधित विवरण देने के लिये बाध्य नही किया जा सकता अतः यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त